चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 01.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 01.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/ब्रिकी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री कैलाशनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त आसिफ खान पुत्र अकबर खान निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 22 क्वार्टर अवैध देशी शराब मस्तीहू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 कैलाशनाथ यादव

2.आरक्षी दुर्गेश

(4). आज दिनाँक 01.08.2025 को पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह की उपस्थिति में पुलिस विभाग में अपनी सेवा देने वाले व अधिवर्षता पूर्ण करने वाले पुलिस उपाधीक्षक श्री जयकरन सिंह, निरीक्षक गोपनीय श्री विनोद कुमार मिश्र,उ0नि0 नागरिक पुलिस श्री शिवपूजन सरोज ,उ0नि0 सशस्त्र पुलिस श्री गंगाचरन,मु0आ0 चालक श्री रविन्द्र त्रिपाठी, मु0आ0 चालक श्री नरेन्द्र पाल नामदेव की विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस उपाधीक्षक सहित,01 निरीक्षक गोपनीय, 02 उपनिरीक्षक सशस्त्र/नागरिक पुलिस, 02 मुख्य आरक्षी चालक को माला पहनाकर, प्रशस्ति-पत्र एवं उपहार प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गई एवं मौके पर उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण/परिवारिजनों को हल्का नास्ता करवाकर मुंह मीठा कराया गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सेवानिवृत हो रहे सभी लोगों से कहा गया कि वह घर जाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं निरन्तर व्यायाम करते रहें, आपने जीवन का अमूल्य समय विभाग को दिया है, मैं समस्त पुलिस विभाग की ओर से आपके सुखद जीवन एवं परिवार की तरक्की की मनोकामना करता हूं एवं ससम्मान व बेदाग सेवानिवृत होने पर आप सभी को सैल्यूट है। पुलिस विभाग में भर्ती होने के पश्चात आपको जीवन में दोनों ही कर्तव्यों एक आपकी वर्दी पहने हुए समय में अपने कर्तव्यों का पालन,दूसरा पारिवारिक कर्तव्य दोनों का ही सामंजस्य बैठाना पड़ता है। इसके बावजूद आप लोगों ने अपने परिवार को अच्छे संसार दिये तथा उपस्थित परिजनों से अपील की गयी कि एक समय था आप लोगों के पिता द्वारा पालन पोषण किया गया लेकिन अब आप लोगों को ध्यान देना होगा। सेवानिवृत हो रहे लोगों को अपनी तीसरी पीढ़ी के साथ समय बिताना बड़ी गौरव की बात होगी।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सेवानिवृत हो रहे पुलिस उपाधीक्षक सहित,01 निरीक्षक गोपनीय, 02 उपनिरीक्षक सशस्त्र/नागरिक पुलिस, 02 मुख्य आरक्षी चालक को माला पहनाकर उनकी स्वास्थ्य का कामना करते हुए उनको योगदान के बारे में बताया गया तथा उनकी कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की गयी।

पुलिस उपाधीक्षक सहित सभी लोगों द्वारा कहा गया कि हम सभी लोग आज इस विभाग से अपनी सेवाएं देकर जा रहा हूँ लेकिन मेरे सभी छोटे भाई बहिन जो अपनी सेवाएं दे रहे है सभी अनुशासित होकर अपने कर्तव्यों का पूर्ण मनोयोग से पालन करें। जिससे आपकी सेवाकाल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नही उत्पन्न होगी । समस्या आने पर आप लोग उच्चाधिकारियों की सलाह का पालन करें।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद,क्षेत्राधिकारी यातायात श्री फहद अली,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल, क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अजेय कुमार शर्मा, वाचक पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

(5).आज दिनाँक 01.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में उपस्थित सभी टोलियों/रिक्रूट आरक्षियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी, परेड निरीक्षण के दौरान अधि0/कर्मचारीगण का टर्न आउट चेक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं सुधार हेतु प्रभारी आरआई पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया तथा परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन, एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया। परेड ग्राउंड में आर्मोरर द्वारा शस्त्रों का खोलने जोड़ने व हैन्डलिंग की जानकारी दी गयी।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार/दो पहिया वाहनों, 112 पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) वाहनों तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों/थानों के वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को मरम्मत हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर, आरटीसी बैरिक , सीपीसी कैंटीन,मंदिर,भोजनालय, आर्मरी का निरीक्षण किया तथा साफ सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। क्वार्टर गार्द का निरीक्षण कर सलामी ली गयी साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश-कक्ष में जाकर पुलिस कर्मियों का अर्दली रुम किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन्स श्री अरविन्द वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक शिवाशीष यादव,पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बहिलपुरवा पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित व थाना कोतवाली कर्वी टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(1).प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुषोत तिवारी मय हमराह उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी सज्जन सिंह आरक्षी मोनू राय द्वारा मु0अ0सं0 47/25 धारा 70(1), 311, 109(1), 351(3), 352,191(2), 191(3), 190, 238 बीएनएस के शेष वांछित अभियुक्त रामशरण यादव पुत्र रामआसरे यादव निवासी कर्का पड़रिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). उ0नि0 श्री गौरव तिवारी थानि कोतवाली कर्वी मय हमराह आरक्षी सुरेन्द्र सिंह केश नं0 251/24 के वारंटी अभियुक्त संजय उपाध्याय पुत्र शिवशरण उपाध्याय निवासी इटौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(7). वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध पीड़ितों को रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री निशीकान्त राय तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये कुल 05 साइबर अपराध पीड़ित व्यक्तियों के कुल 02 लाख 58 हजार 357 रुपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये हैं।

उल्लेखनीय है साइबर अपराध मे पीडित 05 व्यक्तियों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के नाम पर कुल 02 लाख 58 हजार 357 रुपये की ठगी की गयी थी जिनके द्वारा साइबर सेल चित्रकूट में शिकायत की गयी साइबर सेल में

नियुक्त साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री निशीकान्त राय, आरक्षी सर्वेश कुमार, आरक्षी प्रशांत कुमार द्वारा अथक प्रयास करके कुल 05 पीडितों के कुल 02 लाख 58 हजार 357 रुपये बरामद कराया गया।

वर्तमान समय में आम जनमानस द्वारा बैंक आने जानें व बैंकिग औपचारिकताओं में नष्ट होने वाले समय से बचने के लिये व भारत सरकार के डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के क्रम में आम जनमानस भी जिनके पास एन्ड्राइड मोबाइल उपलब्ध है ऑन-लाइन बैंकिंग सेवा का लाभ ले रहे हैं लेकिन इस कार्य में जरा सी असावधानी होने पर कई लोग साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे है । अतः ऑन-लाइन बैंकिंग सेवा का लाभ ले रहे व्यक्तियों को यह जानकारी जरुरी है कि कैसे-कैसे हम साइबर ठगी का शिकार हो सकते है और क्या सावधानी अपनायें की साइबर ठगी से बचा जा सके । जनपदीय साइबर सेल द्वारा लगातार लोगों को साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरुक किया जाता हैं एवं साइबर अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर पीड़ितों की शिकायत दर्ज कर अथक प्रयास करते हुये सम्बन्धित बैंकों से समन्वय स्थापित कर पीड़ितों की धनराशि वापस करायी जाती है ।

नोट- किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर हेल्पलाइन नं0 1930 पर तुरंत क़ॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर कम्पलेंट रजिस्टर करें या अपनें थाना के साइबर हेल्प डेस्क / जनपदीय साइबर सेल को तत्काल सूचना दें।

(8). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री सनद मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 01.08.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 1015/2016 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.ऋषि पुत्र राजेन्द्र महापात्र 2.छोटा भइया पुत्र फुद्दन महापात्र 3.राकेश पुत्र लेखनी महापात्र निवासीगण फरासन टोला तरौहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2500-2500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनाँक 20.11.2016 को एक वादिया द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दिया गया था कि दिनांक 28.10.2016 को अभियुक्तगणों द्वारा वादिया व वादिया की लड़की के साथ छेड़खानी करते हुए कपड़े फाड़ देना व वादिया के लड़के व पति को लाठी डण्डो से मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना । इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 1015/2016 धारा 452,323,504,506,427,354 भादवि0 व 3(2)5क व 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट बनाम अभियुक्त 1.ऋषि पुत्र राजेन्द्र महापात्र 2.छोटा भइया पुत्र फुद्दन महापात्र 3.राकेश पुत्र लेखनी महापात्र निवासीगण फरासन टोला तरौहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट पंजीकृत कराया गया था। विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री राजेश कुमार तिवारी को सुपुर्द की गयी। विवेचक उपरोक्त द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए दिनांक 31.01.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी पारिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।

आवेदिका श्री सुमित्रा देवी पुत्री राम प्रसाद निवासी भरतकूप ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष पति व ससुरालीजनों द्वारा लड़ाई झगड़ा,गाली गलौज करना तथा अतिरिक्त दहेज की मांग करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गीता देवी,महिला मुख्य आरक्षी श्रीमती रजनी देवी व महिला आरक्षी शिवाग्नी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस मे पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पारिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

<u>समझौता कराने वाली टीमः-</u>

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गीता देवी

2.महिला मुख्य आरक्षी श्रीमती रजनी सिंह

3.महिला आरक्षी शिवाग्नी